न्यायालय संभागीय आयुक्त, कोटा सभांग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री कैलाश चन्द मीना आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 164/2020/अपील/एल0आर0एक्ट/बूंदी
दायरा दिनांक 9.11.2020
किस्म अपीलः धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

महेन्द्रपाल आत्मज रामभज्ज जाति धाकड निवासी गुड्डा देव जी तहसील नैंनवा जिला बूंदी।
...... अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नैंनवा जिला बूंदी–राज0।
...... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री महेश योगी अभिभाषक अपीलार्थी
श्री सैफुद्धीन अंसारी अभिभाषक रेस्पो0

:: निर्णय ::

दिनांक 22.3.2021

1 अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) बूंदी द्वारा प्रकरण संख्या 88/प्रा0/2003 अन्तर्गत नियम 14 (4) राज0 भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) 1970 बउनवान राज0 सरकार जरिये तहसीलदार नैंनवा बनाम महेन्द्रपाल आ0 रामभज जाति धाकड नि0 गुडादेवजी तह0 नैंनवा मे पारित निर्णय दिनांक 23.9.2003 के विरूद्ध न्यायालय हाजा मे अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम मे पेश की गई।

2 अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि तहसीलदार नैनवा द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 7.6.99 को किये गये भूमि आवंटन खसरा संख्या 35 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम गुडादेवजी को निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 23.9.2003 से स्वीकार कर अपीलांट को किये गये भूमि आवंटन दिनांक 7.6.99 को निरस्त किया गया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा अपील न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा पटवारी रिपोर्ट व अपीलांट के भूमिहीन होने के तथ्य रिकार्ड पर होने के बाद ही पूर्ण जांच कर आवंटन पूर्ण कोरम मे किया गया था। अपीलांट आवंटन किये जाने की सम्पूर्ण शर्तो पूरी करता है। आवंटन के पूर्व से ही अपीलार्थी मौके पर काबिज काश्त है जो बदस्तूर जारी है जिसकी तायद अपी0/प्रार्थी को प्रेषित धारा 91 एलआरएक्ट के नोटिस से होती है रिकार्ड मे आज भी आवंटी को अतिक्रमी की हैसियत से दर्शाया गया है जो कि पूर्णतया त्रुटिपूर्ण है। आवंटन के तीन वर्ष बाद आवंटी स्वतः ही खातेदार आसामी बन जाता है। आवंटन नियम 14(4) के तहत अपीलांट ने कोई त्रुटि कारित नही की है न ही तथ्य छुपा कर आवंटन करवाया, कोई छल कपट भी नही किया। अधीनस्थ न्यायालय ने मनगढन्त तथ्यों के आधार पर जेरअपील निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। अतः अपील

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

स्वीकार की जाकर अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) बूंदी का निर्णय दिनांक 23.9.2003 निरस्त किये जाने की इस्तदुआ की गई।

3 अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील, दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

4 अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस मे अपील मीमों मे कहे गये कथनों को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि आवंटी भूमिहीन होने से सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाते हुये बाद जांच आवंटन परामर्श समिति द्वारा पूर्ण कोरम मे अपीलांट को वादग्रस्त भूमि का आवंटन किया गया था जो नियमानुसार है। भूमि आवंटन मे कोई अनियमितता नही हुई है तथा ना ही कोई तथ्य छिपाया गया है। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने बहस मे आगे बताया कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थी आवंटन के पूर्व से ही मौके पर काबिज काश्त चला आ रहा है जो बदस्तूर जारी है जिसकी तायद अपी0/प्रार्थी को प्रेषित धारा 91 एलआरएक्ट के नोटिस से होती है रिकार्ड मे आज भी आवंटी को अतिक्रमी की हैसियत से दर्शाया गया है जो कि पूर्णतया त्रुटिपूर्ण है। आवंटन के तीन वर्ष बाद आवंटी स्वतः ही खातेदार आसामी बन जाता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय निरस्त कर आवंटन को बहाल रखे जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस मे व्यक्त किया कि अपीलार्थी को उपलब्ध भूमि से अधिक भूमि का आवंटन कर दिये जाने से मौके पर भूमि उपलब्ध नही होने से अपीलांट को किया गया भूमि आवंटन नियम विरूद्ध होने से जेरअपील निर्णय से खारिज किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होना जाहिर करते हुये अपील खारिज करने का अनुरोध किया।

6. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। डिले कन्डोन हेतु अपील के साथ प्रार्थना पत्र/शपथ पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का इस आशय का पेश किया गया कि अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा निर्णय की कोई जानकारी नही दी गई। दिनांक 7.8.20 को पडौसी से लडाई झगडा होने पर पटवारी हल्का से जानकारी लेने पर प्राप्त हुई। रेस्पो0 राजकीय अधिवक्ता द्वारा शपथ पत्र मे उक्त वर्णित तथ्यों का खण्डन नही किया तथा ना ही खण्डन मे कोई साक्ष्य सबूत पेश किये गये ऐसी स्थिति मे शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है। लिहाजा अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

7. पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा दिनांक 7.6.99 को ग्राम गुढादेवजी की भूमि ख0 नं0 35 रकबा 5 बीधा अपीलार्थी को आवंटित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने उपलब्ध भूमि से अधिक का आवंटन कर दिये जाने तथा मौके पर भूमि उपलब्ध नही होने के परिणामस्वरूप अपीलार्थी को किया गया उक्त भूमि का आवंटन निर्णय दिनांक 23.9.2003 से निरस्त कर दिये जाने से अपीलांट द्वारा अपील न्यायालय हाजा मे पेश की है। प्रश्नगत अपील प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि अपीलार्थी भूमिहीन होने से

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाते हुये बाद जांच आवंटन परामर्श समिति द्वारा पूर्ण कोरम मे किया है जो नियमानुसार है। भूमि आवंटन मे कोई अनियमितता नही हुई है तथा ना ही कोई तथ्य छिपाया गया है। वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थी आवंटन के पूर्व से ही मौके पर काबिज काश्त चला आ रहा है जो बदस्तूर जारी है जिसकी तायद अपी0 को प्रेषित धारा 91 एलआरएक्ट के नोटिस से होती है रिकार्ड मे आज भी आवंटी को अतिक्रमी की हैसियत से दर्शाया गया है जो कि पूर्णतया त्रुटिपूर्ण है। आवंटन के तीन वर्ष बाद आवंटी स्वतः ही खातेदार आसामी बन जाता है। इसके विपरीत रेस्पो0 की ओर से राजकीय अभिभाषक का तर्क रहा है कि अपीलार्थी को उपलब्ध भूमि से अधिक भूमि का आवंटन कर दिये जाने से मौके पर भूमि उपलब्ध नही होने से अपीलांट को किया गया भूमि आवंटन नियम विरूद्ध होने से खारिज किया है। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एवं विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार के तर्को पर मनन करने उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि अपीलार्थी को आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा वादग्रस्त भूमि का आवंटन जांच उपरांत पूर्ण कोरम मे किया गया है। उपलब्ध भूमि से अधिक का आवंटन कर दिया जाना, आवंटन निरस्तीकरण का उचित कारण नहीं है। अपीलार्थी को धारा 91 एलआरएक्ट के तहत नोटिस दिया जाना प्रकट है जिससे आवंटित भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा होना प्रकट है फिर भी आवंटित भूमि पर आवंटी को कब्जा क्यों नही दिया जबकि भूमि पर जिसका कब्जा है उसको ही पात्रता की जांच कर आवंटन किया जाना था। संबधित राजस्व अधिकारी/कर्मचारीयो द्वारा अपीलांट के विरूद्ध "पिक एण्ड चूज" के आधार पर कार्यवाही की जाना प्रकट होता है जिसे न्यायोचित नही ठहराया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने भी उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना जेरअपील निर्णय पारित करने मे त्रुटि की है। परिणामस्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बूंदी द्वारा प्रकरण संख्या 88/प्रा0/2003 बउनवान सरकार जरिये तहसीलदार नैंनवा बनाम महेन्द्रपाल आ0 रामभज मे दिनांक 23.9.2003 को पारित निर्णय अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

9 निर्णय आज दिनांक 22.3..2021 को मेरे द्वारा लिखवाया/टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षरित न्यायालय की मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

22/3/21

(कैलाश चन्द मीना)
संभागीय आयुक्त
कोटा